

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 जून 2019—ज्येष्ठ 28, शक 1941

## गृह ( सी-अनुभाग ) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

क्रमांक एफ-35-86-2019-दो-सी-एक्स.—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एस. ओ. 1285, दिनांक 4 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 ( 1923 का 19 ) की धारा 2 के खण्ड ( 8 ) के उपखण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिबंधित स्थान घोषित करती है, अर्थात् :—

### अनुसूची

क्रमांक ( 1 )	स्थान ( 2 )	पता ( 3 )	प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुर्सीमा ( 4 )
01	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, लिमिटेड, ग्राम खेड़ा पचौला, तह. तराना, जिला उज्जैन.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम खेड़ा पचौला, तह. तराना, जिला उज्जैन. म. प्र. स्थित पाईप लाईन एस. व्ही. 31.	पूर्व—भूमि सर्वे नं. 264 पश्चिम—भूमि सर्वे नं. 264 उत्तर—रूपाखेड़ी-माकडोन रोड दक्षिण—भूमि सर्वे नं. 264

No. F-35-86-2019-C-X.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of Clause (8) of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (XIX of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs's notification No. S. O. 1285, dated the 4th May, 1963, the State Government hereby, declares the places specified in the Schedule below to be prohibited places for the purposes of the said Act :—

## SCHEDULE

S. No.	Place	Location	Description of the Boundaries of the prohibited Place
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Bharat Petroleum Corporation Ltd., Village-Kheda Pachaula, Teh. Tarana, Distt. Ujjain, (M. P.).	Bharat Petroleum Corporation Ltd., Village-Kheda Pachaula, Teh. Tarana, Distt. Ujjain. SV-31	East—Survey No. 264. West—Survey No. 264. North—Ruparkhedi-Makdon Road South—Survey No. 264.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहम्मद शाहिद अबसार, सचिव.